संख्या-1/1325701/2026/18-4099/22/2022-35(बजट)/07

प्रेषक,

प्रवीण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक: 12-05-2026

विषय :-वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत वायुयान भाड़ा सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-36/4-लेखा/बजट/2026-27, दिनांक 23.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत वायुयान भाड़ा सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रु० 1116.00 लाख प्राविधानित की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रु० 558.00 लाख (रु० पांच करोड़ अट्ठावन लाख) मात्र अग्रांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्ययार्थ आपके निवर्तन पर रखते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित मद में ही निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा ।

3 उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ हो रहा है।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

5. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94. दिनांक 6 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय

पर जारी आदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानकों (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सबंध में वित्त (आय व्यवक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं वित्त विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी0एम0-13 मे पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

9. उक्त सवीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलबध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उक्तानुसार स्वीकृत की रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के कय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशो में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवसथाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-14-वायुयान भाड़ा सहायता योजना-27-सब्सिडी" (लेखा शीर्षक 15 अंको में 2851-00-800-14-00-27) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय व्यवक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।

4-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उयम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर/अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।

5- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- वित्त नियंत्रक, उदयोग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर/ लखनऊ ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2एवं 3/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

9- संयुक्त सचिव (श्री प्रवीण कुमार सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।